

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

रविशंकर

हरिसिंह आदि

दावा बाबत :- 88R7ACT

मुकदमा नम्बर :- 234/2021

निर्णय दिनांक :- 29-10-2021

वादी की ओर से वकील दशवीर बानीवाल की व प्रतिवादी सं0 1/1715 की ओर से वकील मानु प्रताप सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रविशंकर उतरादावास के खाता सं- 271/243 के खसरा सं- 168/3 की 0.42 है, खसरा सं- 168/6 की 1.6950 है, खसरा सं- 224 की 1.9820 है, खसरा सं- 424/1 की 1.1380 है, खसरा सं- 424/4 की 2.3560 है कुल 7.5920 है जो रविशंकर उतरादा की प्रतिवादी सं- 1 हरिसिंह के नाम राजस्व खाते के दफ्तरे में सूचीकृत प्रतिवादी सं- 1 हरिसिंह के लिये वादी व प्रतिवादी सं- 1 व 2 के जद्विस्सा करार के खतियार का उतरादा के नाम में सूचीकृत प्रतिवादी सं- 3 तथा 5 के अपना सम्पूर्ण हक व दिस्सा वादी व प्रतिवादी सं- 1 व 2 के पक्ष में उपाज कर मुन्ध कर लिया है उसलिये उपाज किम गीप दिस्स पर पंजीयन किमा का दैय पंजीयन मुल्क एवं ह्याभ उपाज अर्थात् कर व यदि कृषि भूमि के रूप में रखे तो रद्द मुल्क हुन के उपरान्त ये राजस्व खाते के कुपल करामत किमा जावे शोपानामा का डिक्री का भाग 461 जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
 भादरा, जिला कन्नौज  
 कैम्प  
 29/10/2021